भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3807
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एसपीओ के हिस्से की प्रतिपूर्ति

†3807. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना राज्य को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के लिए चार वर्षों से लंबित केंद्र के हिस्से (60%) की प्रतिपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना को प्रतिपूर्ति हेतु कुल कितनी राशि लंबित है;

(ग) क्या सरकार का तेलंगाना में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,065 एसपीओ, जो पूर्व सैन्य/पुलिसकर्मी नहीं हैं, की सेवाओं को नियोजित करने के मानदंडों में ढील देने का विचार है; और

(घ) ये लंबित प्रतिपूर्तियाँ राज्य को कब तक जारी की जाएँगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग) **:**

- सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत प्रतिपूर्ति आवर्ती प्रकृति की है और गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) द्वारा राज्यों द्वारा किए गए दावों के रिकॉर्ड के सत्यापन और लागू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एसआरई स्थायी समिति के अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है।
- जहां तक 'विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)' मद सहित एसआरई योजना के तहत केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति का संबंध है**,** तेलंगाना को प्रतिपूर्ति उस अवधि के दौरान लागू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी।
- इसके अलावा**,** 2019-20 से 2023-24 के बीच की अवधि के लिए तेलंगाना को एसआरई योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए कोई राशि लंबित नहीं है।

- एसआरई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत एसपीओ को अनिवार्य रूप से पूर्व-सेना/पुलिसकर्मी होना था और दावों को तदनुसार संसाधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों की 2024-25 में समीक्षा की गई है और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के लिए "पूर्व सैनिक/पूर्व पुलिसकर्मी" की अनिवार्य शर्त को वित्तीय वर्ष 2024-25 से शिथिल कर दिया गया है। एसपीओ की संख्या राज्य में वर्तमान वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य के आधार पर तय की गई है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

***